



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 04]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी 2013-माघ 5, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

CHANGE OF NAME

Know all person that I, Lisieux Maria D/o Shri M.C. George, presently residing at St. Francis's Convent, 186 Budni T.N., Budni, Sehore Distt., Madhya Pradesh-466445 has changed my former name "Thresiakutty" to "Lisieux Maria" and henceforth I shall be known, named and addressed as Lisieux Maria in all records, deeds and writings.

Old Name :
(THRESIAKUTTY GEORGE)
(277-B.)

New Name :
(LISIEUX MARIA)

उप-नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम सुनील कुमार पाटिल आत्मज श्री देवीदास राव पाटिल, निवासी सी.एम.आई.जी.-19, ब्लाक नंबर-1, अजंता काम्प्लेक्स, इंद्रपुरी, भोपाल था, जिसे परिवर्तन कर सुनील कुमार बुजुक आत्मज श्री देवीदास राव पाटिल, निवासी उक्त पता हो गया. अतः भविष्य में इसी नाम से जाना, पहचाना जायेगा.

पुराना नाम :
(सुनील कुमार पाटिल)
(263-बी.)

नया नाम :
(सुनील कुमार बुजुक)

CHANGE OF NAME

I, was known as Rajni Kumar I have changed my name and henceforth I shall be known as Rajnish Kumar Patel S/o Chatur Bhai Patel, Presently Residing At P.O. Jabera District Damoh (M.P.).

Old Name :
(Rajni Kumar)
(266-B.)

New Name :
(Rajnish Kumar Patel)

CHANGE OF NAME

My previous name was Miss Jyoti Ramrakhiani daughter of Late Mr. S. Ramrakhiani. By virtue of my marriage with Mr. Imran Khan S/o Mr. Shahadat Khan on 12th October, 2010 my name has been changed to Mrs. Zoya Khan. So from today on wards 26th December, 2012. I, should be recognised as Dr. Mrs. Zoya Khan in all my documents and soial life.

Old Name :
(Miss Jyoti Ramrakhiani)
D/o Late Mr. S. Ramrakhiani.

(264-B.)

New Name :
(Dr. Mrs. Zoya Khan)
W/o Mr. Imran Khan,
H.N. 37 Village-kudan Main Road,
Bheraghat, Post Ama-Hinota,
Tehsil Shahpura,
Distt. Jabalpur (M.P.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम अली असगर चन्दनवाला था, परन्तु अब मेरा नाम अली असगर कांचवाला हो गया है. अतः अब मुझे सभी संदर्भ में अली असगर कांचवाला के नाम से जाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम :
(अली असगर चन्दनवाला)

(267-बी.)

नया नाम :
(अली असगर कांचवाला)
178, नयापुरा बाखल,
सैफी मोहल्ला, उज्जैन (म.प्र.).

उप नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद इम्तियाज अब्दुल सत्तार लाड़ा ने अपना नाम परिवर्तन कर मोहम्मद इम्तियाज मेमन कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :
(मोहम्मद इम्तियाज अब्दुल सत्तार लाड़ा)

(270-बी.)

नया नाम :
(मोहम्मद इम्तियाज मेमन)
120, अशोका कॉलोनी,
माणिक बाग रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, फरीदा बानो इम्तियाज लाड़ा ने अपना नाम परिवर्तन कर फरीदा मेमन कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :
(फरीदा बानो इम्तियाज लाड़ा)

(271-बी.)

नया नाम :
(फरीदा मेमन)
120, अशोका कॉलोनी,
माणिक बाग रोड, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मरियम्मा खान ने अपना नाम परिवर्तन कर नसीम खान कर लिया है. अब मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(मरियम्मा खान)

(272-बी.)

नया नाम :
(नसीम खान)
37, अली नगर खजराना,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, सुषमा कटारिया ने अपना नाम परिवर्तन कर हिमांशी भाटिया कर लिया है. अब मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(सुषमा कटारिया)

(273-बी.)

नया नाम :
(हिमांशी भाटिया)
13/1, साउथ तुकोगंज,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भूपेश कुमार गोयल ने अपनी पूर्व पत्नी रिया (रिंकू) गोयल की मृत्यु के पश्चात् अपना पुनः विवाह प्रीति अग्रवाल से कर लिया है, जिसका शादी बाद नाम बदलकर प्रीति गोयल पति भूपेश कुमार गोयल हो गया है। भूपेश कुमार गोयल के बच्चों जिनका नाम परिधि गोयल एवं पार्थ गोयल है उनके लालन-पालन की जिम्मेदारी प्रीति गोयल ने ले ली है।

अतः बच्चों के कागजों में माता रिया गोयल की जगह पर माता का नाम प्रीति गोयल लिखा, पढ़ा जावे।

(274-बी.)

भूपेश कुमार गोयल,
5/2, मुरई मौहल्ला, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रीति अग्रवाल ने अपने पूर्व पति दिनेश अग्रवाल की मृत्यु के पश्चात् अपना पुनः विवाह भूपेश कुमार गोयल से कर लिया है, जिससे शादी बाद मेरा नाम बदलकर प्रीति गोयल पति भूपेश कुमार गोयल हो गया है। प्रीति गोयल के पुत्र जिसका नाम कृष अग्रवाल है उसके भरण-पोषण की जिम्मेदारी भूपेश कुमार गोयल ने ले ली है।

अतः बच्चे के कागजों में माता प्रीति अग्रवाल एवं पिता दिनेश अग्रवाल की जगह पर माता का नाम प्रीति गोयल एवं पिता का नाम भूपेश कुमार गोयल लिखा, पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(प्रीति अग्रवाल)

(प्रीति गोयल)

पति स्व. श्री दिनेश अग्रवाल
(275-बी.)

पति भूपेश कुमार गोयल,
5/2, मुरई मौहल्ला, इन्दौर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में हमारे बच्चे का नाम पियूष अग्रवाल था, जिसमें हमने अपना उपनाम बदलकर पियूष गर्ग कर लिया है, अब हमारे बच्चे को उसके नये नाम पियूष गर्ग से ही लिखा, पढ़ा जाये।

(276-बी.)

प्रवीण गर्ग,
368, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, एस. आर. कन्स्ट्रक्शन, चिक सन्तर मुरार, ग्वालियर की लिखतम पार्टनरशिप डीड तारीख 9 अगस्त, 2008 में चार पार्टनरों में से दो पार्टनर ब्रजकिशोर शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा एवं उमेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा द्वारा उक्त फर्म से अपना हिस्सा लेकर अलग हो रहे हैं तथा एक नये पार्टनर हरिओम शर्मा पुत्र श्री राधेलाल शर्मा द्वारा उस फर्म में प्रवेश किया जा रहा है तथा उक्त दोनों पार्टनरों का हिस्सा नये पार्टनरों द्वारा लिया जा रहा है जिसकी पार्टनरशिप डीड संशोधन लिखतम तारीख 28 फरवरी, 2012 को लिखी जा चुकी है उक्त दोनों पार्टनरों का अब उक्त फर्म से कोई लेना-देना शेष नहीं है तथा नये पार्टनर द्वारा उक्त हिस्सा लेकर प्रवेश लिया गया है। अगर किसी व्यक्ति को कोई हित संरोकार या आपत्ति हो तो वह उक्त पते पर तीन दिन में सम्पर्क करे. जो सूचित रहे।

दिनांक : 04 मई, 2012

राजकुमार समाधिया,

स्थान : ग्वालियर

(पार्टनर)

(268-बी.)

चिक सन्तर मुरार, ग्वालियर.

फर्म नियम 72 के अंतर्गत

सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म प्रिन्टेक पता-70, इलेक्ट्रीक काम्प्लेक्स परदेशीपुरा, इंदौर के भागीदार श्रीमती निता फडके स्वेच्छा से दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से भागीदार से निवृत्त हो गये हैं, और उनकी जगह नये भागीदार श्री राजीव सेठी, सिद्धार्थ जैन एवं करण दोशी ने फर्म में प्रवेश किया गया है।

(Karan Doshi)

Partner.

(269-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Pradeep Tamot Father of Minor, Mouli Tamot Whose age about 16th Years doing student and R/o, E-3/27, Kusum Park, Near Narmada Hospital, Arera Colony, District Bhopal-462016 (M. P.). I, have change my minor daughter name and hence-forth she will be known as, Muli Tamot (To), Mouli Tamot in future,

Pradeep Tamot

Address—E-3/27, Kusum Park,
Near Narmada Hospital, Arera Colony,
District Bhopal-462016 (M.P.).

(278-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे श्याम सुन्दर गुप्ता के नाम से जाना जाता था जो कि अब बदलकर श्याम गुप्ता हो गया है., अतः अब भविष्य में मुझे मेरे नये नाम श्याम गुप्ता के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(श्याम सुन्दर गुप्ता)

नया नाम :

(श्याम गुप्ता)

पुत्र स्व. श्री राम स्वरूप कानुनगो,
पता—फ्लेट नं. 8, लव कुश अपार्टमेण्ट,
86, न्यू अग्रवाल नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(279-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद शब्बीर घोषणा करता हूँ कि मैंने मेरा नाम परिवर्तन कर मोहम्मद हुसैन रख लिया है. मुझे उपरोक्त नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(मोहम्मद शब्बीर)

नया नाम :

(मोहम्मद हुसैन)

67, मेन स्ट्रीट,
महू, इन्दौर (म.प्र.).

(280-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमने हमारी पुत्री मरियम का नाम परिवर्तन कर उपनाम का प्रयोग कर मरियम अली कर लिया है. अब से इसी नाम से जानी जाएगी.

अंजुम अमरजी,

3, बोहरा बाखल, इन्दौर (म.प्र.).

(281-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 01 जनवरी, 2013

क्र./1/व. लि./2012.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम 3-2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च, 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के नियम 08 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर, जिला इन्दौर, वर्ष 2013 के लिये इन्दौर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शाई गई तिथियों के लिए स्थानीय अवकाश की घोषणा करता हूँ:—

क्र.	जिला	त्यौहार	दिनांक	दिन	विवरण
1.	इन्दौर	अहिल्योत्सव	04 सितम्बर, 2013	बुधवार	अर्द्ध दिवस
2.	इन्दौर	अनन्त चतुर्दशी का दूसरा दिन	19 सितम्बर, 2013	गुरुवार	पूर्ण दिवस
3.	इन्दौर	दशहरे का दूसरा दिन	14 अक्टूबर, 2013	सोमवार	पूर्ण दिवस
4.	इन्दौर	दीपावली का दूसरा दिन	04 नवम्बर, 2013	सोमवार	पूर्ण दिवस

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा. अहिल्योत्सव दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को कार्यालय समय प्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे तक रहेगा.

आकाश त्रिपाठी,

कलेक्टर.

(23)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन

प्र.क्र. 04/बी-113/12-13.

उज्जैन, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उप-धारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिये]

पंजीयक,
लोक न्यास, उज्जैन
जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि प्रतिनिधि श्री महंत अवधेशदास, निवासी- अवधेशधाम आश्रम, मैत्री निकुंज कॉलोनी, पंवासा, मक्सी रोड, उज्जैन आदि ने अंतर्राष्ट्रीय मानव सेवाश्रम लोकन्यास उज्जैन, को मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08 फरवरी, 2013 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस, उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं संयुक्त कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 08 फरवरी, 2013 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता एवं सम्पत्ति का वर्णन,)

न्यास का नाम	..	अंतर्राष्ट्रीय मानव सेवाश्रम लोकन्यास, उज्जैन
कार्यालय	..	अवधेशधाम आश्रम, मैत्री निकुंज कॉलोनी, पंवासा, मक्सी रोड, उज्जैन.
चल सम्पत्ति	..	निरंक
अचल सम्पत्ति	..	निरंक

आर. एस. मीना,

संयुक्त कलेक्टर एवं पंजीयक.

(24)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बैरागढ़ वृत्त, जिला भोपाल

क्र. /बी-113/बैरा.वृत्त/12.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा- 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष—रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

जैसा की डॉ. जसवीर कौर पत्नि स्व. कौशल कुमार, अध्यक्ष श्री गुरुजश सेवा ट्रस्ट न्यास, प्लॉट नं. 175, गुफा मंदिर रोड, लालघाटी, जिला भोपाल, द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2013 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	..	175, गुफा मंदिर रोड, लालघाटी, भोपाल.
चल सम्पत्ति	..	भारतीय बैंक ऑफ इंडिया कोहेफिजा में खाता क्रमांक 53000315224 में रुपये 67,992.00.

चन्द्र मोहन मिश्रा,

अनुविभागीय अधिकारी.

(25)

न्यायालय अनुविभागीय अधि. एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट (शहर) जिला रतलाम

क्र. 03 /बी-113/2012.

फॉर्म-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4(2) के तहत]

क्र. /आर-5/2012.— आवेदक श्री हरक चंद सावला, न्यास निर्माता संस्थापक अध्यक्ष “श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन, मंदिर एवं पारमार्थिक न्यास, रतलाम मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत” श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन, मंदिर एवं पारमार्थिक, रतलाम मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 21 जनवरी, 2013 को की जावेगी.

अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रूचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 21 जनवरी, 2013 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम : "श्री शान्तिनाथ दिगम्बर जैन, मंदिर एवं पारमार्थिक न्यास" विक्रम नगर, रतलाम.
2. अचल सम्पत्ति : श्री शान्तिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर विक्रम नगर, रतलाम.
3. चल सम्पत्ति : निरंक.

(26)

रतलाम, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

क्र. 02 /बी-121/2012.

फॉर्म-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4(2) के तहत]

क्र.02/आर-5/2012.— आवेदक श्री जी.डी. अंकलेसरीया रोटरी हॉल ट्रस्ट न्यासी द्वारा ट्रस्टीगण रतलाम मध्यप्रदेश के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत श्री जी. डी. अंकलेसरीया रोटरी हाल ट्रस्टीगण, रतलाम पारमार्थिक न्यास, रतलाम मध्यप्रदेश के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 14 जनवरी, 2013 को की जावेगी.

अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रूचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 14 जनवरी, 2013 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित हों. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम व पता : जी.डी. अंकलेसरीया रोटरी हॉल ट्रस्ट, रतलाम.
2. अचल सम्पत्ति : रोटरी हॉल भवन.
3. चल सम्पत्ति : 90,528.96/-

(26-A)

रानी बाटड़,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

"सुधर्म स्थानकवासी जैन सेवा ट्रस्ट" कार्यालय भू-खण्ड क्रमांक 24, ग्रीन पार्क कॉलोनी, साउथ तुकोगंज इन्दौर की ओर से आवेदक श्री शंकरलाल जैन पिता राधुलाल जैन, निवासी डी-9 रतलाम कोठी, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्याय के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

- पब्लिक ट्रस्ट का नाम : "सुधर्म स्थानकवासी जैन सेवा ट्रस्ट"
- पता : भू-खण्ड क्रमांक 24, ग्रीन पार्क कॉलोनी, साउथ तुकोगंज इन्दौर.
- अचल सम्पत्ति : निरंक है.
- चल सम्पत्ति : रुपये 21,000/- (अक्षरी रुपये इक्कीस हजार मात्र)
- आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(27)

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम

आनन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जावरा, जिला रतलाम को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/339, दिनांक 18 मार्च, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 440, दिनांक 08 जून, 1987 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें तत्संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम को प्रत्यायोजित मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आनन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., जावरा, जिला रतलाम का पंजीयन क्रमांक 440, दिनांक 08 जून, 1987 को निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(28)

रतलाम, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

क्र./परि./2012/1700.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मथूरी, जिला रतलाम को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/915, दिनांक 04 जुलाई, 2001 से जिसका पंजीयन क्रमांक 456, दिनांक 06 जून, 1987 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें तत्संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम को प्रत्यायोजित मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मथूरी, जिला रतलाम का पंजीयन क्रमांक 456, दिनांक 06 जून, 1987 को निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(28-A)

रतलाम, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

क्र./परि./2012/1701.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालूखेड़ा, जिला रतलाम को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1320, दिनांक 05 अक्टूबर, 2010 से जिसका पंजीयन क्रमांक 380, दिनांक 27 सितम्बर, 1985 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें तत्संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम को प्रत्यायोजित मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कालूखेड़ा, जिला रतलाम का पंजीयन क्रमांक 380, दिनांक 27 सितम्बर, 1985 को निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(28-B)

रतलाम, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

क्र./परि./2012/1702.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डलाकला, जिला रतलाम को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/1003, दिनांक 15 जुलाई, 2008 से जिसका पंजीयन क्रमांक 676, दिनांक 28 अक्टूबर, 1995 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें तत्संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम को प्रत्यायोजित मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुण्डलाकला, जिला रतलाम का पंजीयन क्रमांक 676, दिनांक 28 अक्टूबर, 1995 को निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(28-C)

रतलाम, दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

क्र./परि./2012/1703.—सुन्दरम् गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, जिला रतलाम को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/592, दिनांक 12 अप्रैल, 2004 से जिसका पंजीयन क्रमांक 457, दिनांक 01 दिसम्बर, 1987 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत संस्था अकार्यशील होने से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक द्वारा परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें तत्संबंधी कोई कार्यवाही शेष नहीं है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही से मैं संतुष्ट हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी की उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला रतलाम को प्रत्यायोजित मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुन्दरम् गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., रतलाम, जिला रतलाम का पंजीयन क्रमांक 457, दिनांक 01 दिसम्बर, 1987 को निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूँ।

उक्त आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(28-D)

पी. आर. कावड़कर,
उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, पन्ना, जिला पन्ना

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

महिला बीड़ी श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., अहिरगवा, पो. अहिरगवा, तहसील पन्ना, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./535, दिनांक 27 मई, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./735, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियाँ, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे वेष्टित है का प्रयोग करते हुये महिला बीड़ी श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., अहिरगवा, पो. अहिरगवा, तहसील पन्ना को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियाँ, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें।

(29)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

आदर्श ईट-भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., पुरैना, पो. पुरैना, तहसील शाहनगर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./619, दिनांक 25 फरवरी, 2005 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./721, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित है का प्रयोग करते हुये आदर्श ईट-भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्या., पुरैना, पो. पुरैना, तहसील शाहनगर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री राजीव तिवारी, सहकारी निरीक्षक, परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-A)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मझगवा (कोठी), पो. मोहन्द्रा, तहसील पबई, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./530, दिनांक 29 अप्रैल, 2003 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./728, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित है का प्रयोग करते हुये ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., मझगवा (कोठी), पो. मोहन्द्रा, तहसील पबई को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री पी. के. मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-B)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

एकलब्ध आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर एवं वनोपज सहकारी समिति मर्या., सकतरा, पो. कल्दा, तहसील पबई, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./381, दिनांक 25 जनवरी, 1997 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./733, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित है का प्रयोग करते हुये एकलब्ध आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर एवं वनोपज सहकारी समिति मर्या., सकतरा, पो. कल्दा, तहसील पबई को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री पी. के. मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-C)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सटवा, पो. मडवा, तहसील शाहनगर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./594, दिनांक 07 मई, 2004 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./730, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये ग्राम स्तरीय महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सटवा, पो. मडवा, तहसील शाहनगर, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री पी. के. मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-D)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., लुहरगाव, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./341, दिनांक 25 फरवरी, 1991 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./725, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., लुहरगाव, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-E)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

हरिजन पत्थर खदान एवं स्टोन क्रेशर रेतट्रक मजदूर सहकारी समिति मर्या., इटौरी, पो. अमानगंज, तहसील गुनौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./380, दिनांक 07 नवम्बर, 1996 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./736, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये हरिजन पत्थर खदान एवं स्टोन क्रेशर रेतट्रक मजदूर सहकारी समिति मर्या., इटौरी, पो. अमानगंज, तहसील गुनौर को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-F)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

हरिजन/आदिवासी महिला मजदूर खनिज सहकारी समिति मर्या., देवगाव, पो. देवगाव, तहसील अजयगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./400, दिनांक 24 अगस्त, 1999 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./734, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये हरिजन/आदिवासी महिला मजदूर खनिज सहकारी समिति मर्या., देवगाव, पो. देवगाव, तहसील अजयगढ़ को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-G)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., रमपुरा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./635, दिनांक 27 मार्च, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./724, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये आदिवासी मत्स्य सहकारी समिति मर्या., रमपुरा, पो. इटवाकला तहसील पन्ना को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-H)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

आदर्श ईटठा उद्योग सहकारी समिति मर्या., विल्हा, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./610, दिनांक 05 अक्टूबर, 2004 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./720, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये आदर्श ईटठा उद्योग सहकारी समिति मर्या., विल्हा, पो. कमताना, तहसील गुनौर, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-I)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

आदिकुवारी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अमानगंज, तहसील गुनौर, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./628, दिनांक 26 जुलाई, 2007 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./731, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये आदिकुवारी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., अमानगंज, तहसील गुन्नौर को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-J)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

सहेली महिला साख सहकारी समिति मर्या., अजयगढ़, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./642, दिनांक 13 नवम्बर, 2009 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./727, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये सहेली महिला साख सहकारी समिति मर्या., अजयगढ़, तहसील अजयगढ़ को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-K)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

लक्ष्मीबाई प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., अजयगढ़, (वार्ड 9 से 15 तक) जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./634, दिनांक 07 नवम्बर, 2007 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./738, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये लक्ष्मीबाई प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., अजयगढ़, (वार्ड 9 से 15 तक) को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-L)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

श्री कल्याण देशी-विदेशी मदिरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पन्ना, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./638, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./722, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये श्री कल्याण देशी-विदेशी मदिरा क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., पन्ना, को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-M)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., हडा, पो. व तहसील पबई, जिसका पंजीयन क्रमांक/ए.आर.पी./372, दिनांक 01 अगस्त, 1996 है, को परिसमापन में क्यों न लाया जाय. इस हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./723, दिनांक 20 जून, 2012 को दिया था तथा उसका जवाब देने के लिये 30 दिन की समयावधि दी गई थी. इस समयावधि में संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ना ही कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ. ऐसी स्थिति में मेरे मत से संस्था को परिसमापन में लाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये आदिवासी पत्थर खदान श्रमिक मजदूर सहकारी समिति मर्या., हडा, पो. व तहसील पबई को एतद्द्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री पी. के. मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-N)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/1352, दिनांक 04 अगस्त, 2011 द्वारा श्री राजीव तिवारी, सहकारी निरीक्षक को निम्न समितियों 1- ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. बीरा एवं 2- ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., किटहा का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री तिवारी के पास कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुये उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी को परिसमापक नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/1352, दिनांक 4 अगस्त, 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री राजीव तिवारी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को उक्त दोनों संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-O)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/1421, दिनांक 10 अगस्त, 2011 द्वारा श्री राजीव तिवारी, सहकारी निरीक्षक को शुभम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पन्ना का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री तिवारी के पास कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुये उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी को परिसमापक नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/421, दिनांक 10 अगस्त, 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री राजीव तिवारी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को शुभम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पन्ना का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

(29-P)

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/1355, दिनांक 04 अगस्त, 2011 द्वारा श्री के. पी. सिंह, उप-अंकेक्षक ग्राम स्तरीय आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सिरा का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री सिंह के पास कार्य की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुये उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी को परिसमापक नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, अखिलेश कुमार निगम, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, पन्ना, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 जिसके अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-1-99-पन्द्रह-1-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझमें वेष्टित हैं का प्रयोग करते हुये कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2011/1355, दिनांक 4 अगस्त, 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री के. पी. सिंह, उप-अंकेक्षक के स्थान पर श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक, सहकारी समितियां, पन्ना को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश इसके जारी होने के दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 से प्रभावशील होगा. साथ ही आदेशित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार मिश्रा, उप-अंकेक्षक परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अन्तिम प्रतिवेदन मुझे 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें.

अखिलेश कुमार निगम,
सहायक पंजीयक.

(29-Q)

कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, मेहगांव, जिला भिण्ड

(मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 162 क नियम 57 सी के अन्तर्गत)

संशोधित आदेश क्रमांक उपा./भिण्ड/परि./2012/314, भिण्ड, 22 मई, 2012 के आदेशानुसार निम्नलिखित दुग्ध सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है, परिसमापन में लाई गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	समिति का नाम	पंजीयन क्र./दिनांक
1.	दुग्ध समिति, जाखौली	494/28-10-1987
2.	दुग्ध समिति, खुर्द	546/30-03-1988
3.	दुग्ध समिति, रानीपुरा	426/20-09-1986
4.	दुग्ध समिति, रायपुरा	493/28-10-1987
5.	दुग्ध समिति, धौरका	496/28-10-1987
6.	दुग्ध समिति, बेलमा	483/09-09-1987
7.	दुग्ध समिति, चकरपुरा	693/10-02-1994
8.	दुग्ध समिति, गजुरा	420/06-06-1988
9.	दुग्ध समिति, राहुली उमारी	631/31-01-1989
10.	दुग्ध समिति, खरौआ	318/03-03-1982
11.	दुग्ध समिति, ररूआ	588/29-09-1988

1	2	3
12.	दुग्ध समिति, रोहिनी जागीर	601/31-01-1989
13.	दुग्ध समिति, देहगाँव	319/03-03-1982
14.	दुग्ध समिति, जौरी कोतवाल	281/20-03-1978
15.	दुग्ध समिति, अंधियारी खुर्द	522/30-04-1988
16.	दुग्ध समिति, मेघपुरा	706/15-12-1994
17.	दुग्ध समिति, बिछौली	276/02-02-1978
18.	दुग्ध समिति, सिलोली	849/01-09-2002
19.	दुग्ध समिति, मेहरा	549/30-03-1988
20.	दुग्ध समिति, सोनपुरा	589/29-09-1988
21.	दुग्ध समिति, खोड़	870/04-09-2003
22.	दुग्ध समिति, बरहद	324/18-03-1982
23.	दुग्ध समिति, भटपुरा	531/30-03-1988
24.	दुग्ध समिति, कुरथर	482/28-10-1987
25.	दुग्ध समिति, सुन्दरपुरा	620/31-01-1989
26.	दुग्ध समिति, मारपुरा	529/30-03-1988
27.	दुग्ध समिति, रूरई	530/30-03-1988
28.	दुग्ध समिति, कैथा	356/16-04-1985
29.	दुग्ध समिति, ज्ञानपुरा	541/30-03-1988
30.	दुग्ध समिति, खेरिया	550/30-03-1988
31.	दुग्ध समिति, सिगौसा	570/29-09-1988
32.	दुग्ध समिति, गिरवासा	610/31-01-1989
33.	दुग्ध समिति, कुंअरपुरा नं.2	613/31-01-1989
34.	दुग्ध समिति, अमायन	434/30-03-1988
35.	दुग्ध समिति, जलालपुरा	355/15-05-1984
36.	दुग्ध समिति, धौनपुरा	879/13-08-2004
37.	दुग्ध समिति, जैतपुरा	348/16-04-1985
38.	दुग्ध समिति, जमदारा	450/05-03-1987
39.	दुग्ध समिति, खुर्द	537/30-03-1988
40.	दुग्ध समिति, छिदी	621/31-01-1989
41.	दुग्ध समिति, डूडा	632/31-01-1989
42.	दुग्ध समिति, डेडुआ	491/28-10-1987
43.	दुग्ध समिति, निवारी	279/12-12-1978
44.	दुग्ध समिति, जखमौली	843/29-06-2002
45.	दुग्ध समिति, इटायदा	312/30-03-1982
46.	दुग्ध समिति, सैंथरी	425/09-09-1987

1	2	3
47.	दुग्ध समिति, सोनी	384/29-04-1986
48.	दुग्ध समिति, रजपुरा	574/29-09-1988
49.	दुग्ध समिति, खितौली	417/06-08-1986
50.	दुग्ध समिति, सौंधा	532/30-04-1988
51.	दुग्ध समिति, अतियंत का पुरा	615/31-01-1989

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय साक्ष्य के यदि हो तो कार्यालय दुग्ध शीत केन्द्र, मेहगांव, जिला भिण्ड कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध सभी दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां किसी के पास हों तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी को सौंपे, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख नहीं सौंपे गये हैं, तो उनके विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी जवाबदारी संबंधित की होगी।

यदि उक्त संस्थाओं में से किसी भी संस्था के अभिलेख या आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होते हैं तो दावेदारों/साहूकारों के दावों का निराकरण गत वर्ष की अंकेक्षित स्थिति विवरण पत्रकों के आधार पर परिसमापक के विवेक एवं समक्ष अधिकारी उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड के अनुमोदन उपरान्त किया जाएगा।

अतः सूचना आज दिनांकको मेरे एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

(30)

आर. के. शर्मा,
ग्रा. वि. स. एवं परिसमापक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 2441, दिनांक 24 जून, 2011 के द्वारा विवेक नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./316, दिनांक 28 जनवरी, 1983 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती संगीता मीना को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(40)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 1956, दिनांक 24 मई, 2011 के द्वारा सदावहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक, दिनांक है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनोद जैन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(40-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्र. 2730, दिनांक 18 जुलाई, 2011 के द्वारा महागायत्री गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल जिसका पंजीयन क्रमांक डी.आर.बी./388, दिनांक 19 जनवरी, 1984 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री विनोद जैन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(40-B)

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 04]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 जनवरी 2013-माघ 5, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील देवरी (सागर), तेन्दूखेड़ा (दमोह), रघुराजनगर, रामपुरबघेलान, उचेहरा, रामनगर (सतना), जेतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), गोपदबनास, कुंसमी (सीधी), बड़नगर (उज्जैन), सेंधवा, पाटी, निवाली, वरला (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), मुलताई (बैतूल), पाटन, जबलपुर, कुन्डम (जबलपुर), शाहपुरा (डिण्डोरी), सिवनी, लखनादौन, बरघाट, छपारा (सिवनी), कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील बांधवगढ़ (उमरिया), चुरहट (सीधी), डही (धार), सीहोरा (जबलपुर), घंसौर (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील कोतमा (अनूपपुर) सिंहावल, (सीधी), कुरई (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, अनूपपुर, सीधी, मंदसौर, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, सिवनी व टीकमगढ़, कटनी में रबी फसल एवं विदिशा में खरीफ फसल की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, दमोह, नरसिंहपुर, सिवनी व सीधी, मंदसौर में रबी फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.— जिला धार, बुरहानपुर, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा में फसल सोयाबीन व मन्दसौर में सोयाबीन, मक्का व सिवनी में खरीफ फसल उड़द, मूँग, सोयाबीन, मक्का व बैतूल, झाबुआ में मक्का, सोयाबीन, धान उड़द की कटाई एवं मूँगफली की तुड़ाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, सागर, उमरिया, बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह .. 2. पोरसा .. 3. मुरैना .. 4. जौरा .. 5. सबलगढ़ .. 6. कैलारस ..					
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का, कपास, सोयाबीन.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर .. 2. कराहल .. 3. विजयपुर ..					
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ज्वार, बाजरा, तिल सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर .. 2. भिण्ड .. 3. गोहद .. 4. मेहगांव .. 5. लहार .. 6. मिहोना .. 7. रौन ..					
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिल, मूँगमोठ, तुअर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर .. 2. डबरा .. 3. भितरवार .. 4. घाटीगांव ..					
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) उड़द, तिल, मूँगफली, ज्वार, धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा .. 2. दतिया .. 3. भाण्डेर ..					
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी .. 2. पिछोर .. 3. खनियाधाना .. 4. नरवर .. 5. करैरा .. 6. कोलारस .. 7. पोहरी .. 8. बदरवास ..					

1	2	3	4	5	6
अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुंगावली	..		4. (1) उड़द, सोयाबीन, गन्ना अधिक. मक्का, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) धान, ज्वार, मूँग, उड़द, सोयाबीन, तिल, मूँगफली समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. मोहनगढ़	..				
7. पलेरा	..				
8. लिधोरा	..				
9. ओरछा	..				
10. खरगापुर	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ज्वार, अरहर, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर, मूँग, उड़द, गन्ना, मूँगफली, तिल, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	5.4				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, सोयाबीन समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	4.4				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का अधिक. सोयाबीन कम. धान, उड़द, मूँग, कोदों-कुटकी, तिल समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	10.6				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	5.0				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	6.0				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	17.0				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मूँग, उड़द, अरहर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. सेमरिया	..				
4. मऊगंज	..				
5. हनुमना	..				
6. हजूर	..				
7. गुढ़	..				
8. जवा	..				
9. शयफुकर्चुलियान	..				
10. नई गढ़ी	..				
11. मनगवां	..				
*जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
5. बुढार	..				
6. गोहपारू	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, सोयाबीन अधिक. मक्का, उड़द, राहर, कोदों, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	3.0				
2. अनूपपुर	4.0				
3. कोतमा	49.2				
4. पुष्पराजगढ़	9.8				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, अरहर, सोयाबीन, उड़द, तिल अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	25.1				
2. पाली	..				
3. मानपुर	16.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मसूर, कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	14.0				
2. सिंहावल	48.0				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	8.0				
5. चुरहट	27.0				
6. रामपुरनैकिन	..				
*जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी व सोयाबीन, मक्का की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का कम. तिल, मूँगफली समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. धुन्धड़का	..				
7. सीतामऊ	..				
8. संजीत	..				
9. शामगढ़	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, मूँगफली, तिल, तुअर-अधिक. उड़द कम. सोयाबीन समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) सोयाबीन, मक्का समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	1.0				
7. नागदा	..				
*जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. मो. बड़ोदिया	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
5. बड़ोद	..				
6. शाजापुर	..				
7. शुजालपुर	..				
8. कालापीपल	..				
9. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. ... 6. ..	7. ... 8. ..
1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. मक्का, सोयाबीन, धान उड़द एवं मूँगफली की फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. धान कम. मक्का, कपास, मूँगफली, उड़द, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, कपास, उड़द, सोयाबीन, तुअर अधिक. ज्वार, मक्का कम. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. भामरा 4. उदयगढ़ 5. सोण्डवा 6. कट्ठीवाड़ा				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन अधिक. ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही 34.1				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महु (डॉ. अम्बेडकरनगर)				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. सनावद 3. महेश्वर 4. सेगांव 5. करही 6. खरगोन 7. गोगावां 8. कसरावद 9. मुल्ठान 10. भगवानपुरा 11. भीकनगांव 12. झिरन्या				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) ज्वार, मक्का, कपास, गन्ना	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सेंधवा	12.0				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	3.0				
7. निवाली	14.0				
8. वरला	12.0				
9. अंजड	..				
*जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	2.8		4. (1) गन्ना, मूँगफली, अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		तिल, सनहेम्प, कपास, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..		(2) ..		
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) गन्ना, ज्वार कम. मक्का, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) ..		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. नरसिंहगढ़	..				
7. पचोर	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) उड़द, तुअर, मूँग, मक्का ज्वार.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) सोयाबीन, मक्का, तुअर, गन्ना, मूँगफली समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. फसल कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				
6. श्यामपुर	..				
5. रेहटी	..				
5. जावर	..				

1	2	3	4	5	6
*जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. फसल मक्का, सोयाबीन की कटाई एवं मूँगफली की तुड़ाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. आठनेर	..				
7. मुलताई	13.2				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, सोयाबीन, उड़द अधिक. गन्ना, मूँगमोठ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बाबई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. फसल सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
4. हण्डिया	..				
5. रहटगांव	..				
6. सिराली	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. सीहोरा	23.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	3.0		(2) धान, सोयाबीन सुधरी हुई.		
3. मझौली	..				
4. जबलपुर	0.8				
5. कुण्डम	4.0				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की जुताई एवं खरीफ फसलों की कटाई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, राहर, तिली, सोयाबीन, उड़द.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				
7. बड़वारा	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, उड़द, मूँग अधिक. मक्का, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) धान, मक्का, कोदों, तुअर, तिल, सन सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) मक्का, धान, राहर, कोदों-कुटकी, तिल, रामतिल, उड़द समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	5.0				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) सोयाबीन, मक्का समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व खरीफ फसल उड़द मूँग, सोयाबीन, मक्का की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, बाजरा, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँगमोठ, तिल, सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	4.2				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	6.5				
4. बरघाट	1.1				
5. कुरई	39.0				
6. घंसौर	32.0				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	12.7				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	74.0				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	16.0				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला गुना, शहडोल, सिंगरौली, शाजापुर, पूर्व-निमाड़, रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(22)